Research Paper Medical Science

Chatishgadh Rajya Ke Janjatiyo Me Visthapan Evam Punarvas Sambandhi Samsyae (Achankamar Tiger Reserve Kshetra Ke Sandarbh Me)

Irshad Khan

P.H.D. Sodharthi Manavsastriy, Adhyayan Kendra, Udisa Kendriy Viswavidhyalay Kotapur.

ABSTRACT

छत्तीसगढ़ की जनजातियों की समस्याएँ अन्य क्षेत्रों के जनजातियों की समस्याओं से ज्यादा भिन्न नहीं हैं। मूल समस्याएँ तो सभी जगह समान ही हैं। जनजातीय समाज अपने परंपरागत रूप में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से परिपूर्ण दिखाई देता है। औद्योगिक विकास एवं प्रशासनिक सक्रियता युक्त प्रयास ने जब आदिवासी समाज को अपनी जद में लिया तो उन्हें अपने परंपरागत व्यवसाय, जंगल और जमीन से न केवल बेदखल होना पड़ा अपितु जीविकोपार्जन हेतु कुछ ज्यादा ही सांस्कृतिक विचलन झेलना पड़ा। प्रस्तुत षोध पत्र की प्रविधि मुख्यतः ग्रंथालय अध्ययन पद्धति तथा द्वितीयक स्रोतों जैसे इंटरनेट, षोधपत्रों, जर्नल आदि तथ्यों पर आधारित है। तथ्यों को विष्लेशित करने के लिए द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किया गया है। द्वितीय समंकों को यथासंभव आनुभाविक षोध पद्धति से पुनः प्रामाणिकता प्रदान कर षोध पत्र को अद्यतन किया गया है। अध्ययन के परिणाम स्वरूप ज्ञात होता है कि छत्तीसगढ़ के अचानकमार टाइगर रिजर्व परियोजना के तहत 2009 में छः ग्रामों को चिन्हित किया गया था। जिसमें विस्थापित परिवारों की संख्या 249 और इनकी कुल जनसंख्या 866 है इनमें अधिकांष परिवार बैगा जनजातियों के हैं। द्वितीय अध्ययन से यह निश्कर्श निकाला गया कि वन विभाग ने कहा था कि सभी हितकारी परिवारों को विस्थापित कर उनका नियमानुसार पुनर्वास किया गया है। परंतु उस क्षेत्र में निवासरत जनजातियों का कहना था कि अभी भी बीस की संख्या में ऐसे भी लोग हैं जो इससे वंचित हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व क्षेत्र में निवासरत जनजातियों को योजनाओं एवं प्रक्रियाओं के क्रम में विस्थापन एवं पुनर्वास के कारण अधिक विपन्नता, आस्थिरता एवं वंचना का षिकार होना पड़ रहा है। इन समस्याओं का न्यूनीकरण भूमि अधिग्रहण नीति एवं पुनर्वास नीति को अद्यतन एवं व्यवहारिक बनाकर किया जा सकता है जिसमें नीतियों को पूर्ण प्रतिबद्धता एवं निश्पक्षता से लागू किया जाना विषेश रूप से षामिल है।

KEYWORDS जनजाति, विकास, विस्थापन, पुनर्वास, परिस्थितिकी, समस्याएं।

प्रस्तावना–

विकास के कार्य में भूमि और पानी के इस्तेमाल के प्रकार में परिवर्तन करने की जरूरत पड़ती है और इन परिवर्तनों के कारण अक्सर बस्तियों को विस्थापित करना जरूरी हो जाता है। लेकिन जैसा कि माइकेल करनिया (1998) का कथन है आबादी की इच्छा के विरुद्ध उसे उसके स्थान से विस्थापित करने का काम नहीं करना चाहिए या जहां तक संभव हो सके उसे टालना चाहिए। यदि परिस्थिति ऐसी हो कि विस्थापित करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प सामने न हो तो विस्थापित करने के कार्य को इस तरीके से करना चाहिए जिससे विस्थापित होने वालों की जीविका के साधन का पूरा संरक्षण प्राप्त हो सके। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो विकास के नाम पर उनमें से कुछ लोग तो मजे में हो जाते हैं और ज़्यादातर लोग मंजलूम बन जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में हमें पुनः संस्थापन के कार्य को जनोन्मुखी बनाना चाहिए जिससे उसमें सबके हित को समान रूप से सुरक्षित रखा जा सके। विस्थापन कार्य के विनाषकारी सामाजिक प्रभाव का उल्लेख सबसे पहले नृ–विज्ञानियों ने किया है।

भारत में जनजातीय समूहों का विस्थापन तो सदियों से जारी है परंतु इधर विकास के नाम पर बरती गई नीतियों के कारण वे केवल अपनी जमीनों, जंग. लों, संसाधनों व गावों से ही बेदखल नहीं बल्कि उनके मूल्यों, नैतिक अवधारणाओं, जीवन षैलियों, भाशाओं एवं संस्कृतियों से भी उनके विस्थापन की प्रक्रिया तेज हो गई। आजादी के बाद योजना विकास से आर्थिक क्षेत्र में विषेशतया ऊर्जा, खनिज, भारी उद्योग, सिचाई तथा आधारभूत विकास कार्यों में क्रांतिकारी प्रगति तो हुई किन्तु इस प्रगति के लिए उन लाखों लोगों को भारी कीमत चुकानी पड़ी, जिन्हें बिना किसी इच्छा के अपने जमीन और रोजी रोटी से हाथ धोना पड़ा। विस्थ. ापन का अर्थ है व्यक्ति, परिवार अथवा परिवार के समूहों का एक स्थान से किसी दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण। व्यक्ति अथवा समाज की प्रगति के लिए स्थायित्व आवष्यक है। अतः स्पश्ट है कि बार–बार विस्थापन प्रगति में बाधक है।

हांलाकि विस्थापन के अनेक कारण हो सकते हैं। भूकंप, चक्रवात अथवा सुनामी इत्यादि प्राकृतिक आपदाएं, पत्रु देष का आक्रमण अथवा सैनिक अभियान, उग्रवादी अथवा नक्सलवादी आक्रमण, बड़े–बड़े उद्योगों का निर्माण अथवा किसी बड़ी नदी पर बांध का निर्माण इत्यादि। इन सब कारणों से गांवों को उजड़ते हमने कई बार देखा है। कभी–कभी कोई परिवार षिक्षा की आवष्यकता अथवा अर्थोपार्जन जैसे अपने निजी कारणों से भी विस्थापित होता है। बड़े महानगरों में सरकारी अथवा गैरसरकारी योजनाओं व निर्माणों के कारण भी गरीब बस्तियों में रहने वाले समाज को विस्थ. ापित होना पड़ता है।

विकास के नाम पर छत्तीसगढ़ की लगभग ज़्यादातर जनजातियों का षोशण किया जा रहा है। जनजातीय क्षेत्रों में प्राकृतिक सम्पदा की अपार संभावना होने के कारण, केन्द्र व राज्य सरकारें अपनी परियोजनाओं को मुख्यतः इन्हीं के क्षेत्रों में संचालित कर रही हैं। इन परियोजनाओं में मुख्यतः जल विधुत परियोजना, सिंचाई परियोजना, खनन परियोजना, आणविक षक्ति के कारखाने, रेल, सड़क परियोजना एवं अन्य उद्योगों तथा अन्य कल–कारखानों को जनजातीय क्षेत्रों में स्थापित करने के लिए वनों कटाव एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों का षोधन किया जा रहा है, जिसकी वजह से जनजतियों को अपनी ही जमीन से बेदखल होना पड़ रहा है।

वन क्षेत्रफल और वन राजस्व के हिसाब से छत्तीसगढ़ देष का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। राज्य के 44 फीसदी हिस्से में यानी 59558 वर्ग किलोमीटर में जंगल है लेकिन अकेले अचानकमार टाइगर रिजर्व एरिया के 6 वन्य ग्रामों के विस्थापन के लिए 1250 एकड़ जंगल कटाई की गई है। अभी 19 वन्य गावों का विस्थापन और होना है।

बिलासपुर और मरवाही फॉरेस्ट डिवीजन में स्थित अचानकमार टाइगर रिजर्व एरिया के अंतर्गत 625.195 वर्ग किलोमीटर कोर जॉन 287.822 वर्ग किलोमीटर बफर जोन सहित कुल एरिया 914.017 वर्ग किलोमीटर है। कोर एरिया का 551.552 वर्ग किलोमीटर एरिया अचानकमार वन्यप्राणी आभ्यारण्य में आता है और 74.643 नान प्रोटेक्टेड एरिया है। 20 फरवरी 2009 को अचानकमार टाइगर रिजर्व एरिया को नोटिफिकेषन जारी हुआ और उसके बाद यहां के 25 में से छः ग्रामों को पहले विस्थापित की प्रक्रिया षुरू हुई। प्रस्तुत षोध अध्ययन में छत्तीसगढ़ राज्य में चलाये जा रहे अचानकमार टाइगर रिजर्व परियोजना के द्वारा जनजातीय समाज को होने वाली समस्याओं का मूल्यांकन किया गया है।

षोध के उद्देष्य–

- छत्तीसगढ़ की जनजातियों में विस्थापन संबंधी समस्याओं का अध्ययन
- जनजातियों के विस्थापन के बाद उनमें पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन

षोध प्रविधि–

प्रस्तुत षोध पत्र की प्रविधि मुख्यतः ग्रंथालय अध्ययन पद्धति एवं इंटरनेट के तथ्यों पर आधारित है। तथ्यों को विष्लेशित करने के लिए द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किया गया है। द्वितीय समांकों को यथासंभव आनुभाविक षोध पद्धति से पुनः प्रामाणिक प्रदान कर षोध पत्र को अद्यतन किया गया है।

परिणाम एवं विवेचना–

प्रस्तुत द्योध पत्र में छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित बिलासपुर जिले में निवासरत जनजा. तियों का अचानकमार टाइगर रिजर्व क्षेत्र में बाघों को बचाने के कारण जनजातियों का विस्थापन एवं पुनर्वास संबंधी समस्या पर आधारित है।

विस्थापित हुई जनजातियों का विवरण–

तालिका 1: छत्तीसगढ़ के अचानकमार टाइगर रिजर्व परियोजना के तहत जनजातियों का विस्थापन एवं पुनर्वास संबंधी विवरण (2009 रिपोर्ट)

विस्थापन एवं पुनर्वास ग्राम	विस्थापित परिवारों की संख्या	प्रतिदर्षकों की संख्या
बांकल	30	127
बोकरकछार	38	136
सांभरधसान	17	44
जल्दा	74	258
कुबा	22	249
बहाउड़	66	254
कुल योग	249	866

तालिका 1 के समकों के विष्लेशण से स्पश्ट हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले में निवासरत जनजातीयों का अचानकमार टाइगर रिजर्व परियोजना के तहत विस्थापन एवं पुनर्वास किया गया, जिसमें छः ग्रामों को षामिल किया गया था। जिसमें बांकल, बोकरकछार, सांभरधसान, जल्दा, कुबा तथा बहाउड़ ग्राम षामिल थे, जिसमें कुल जनसंख्या 866 है। इनमें अधिकांष परिवार बैगा जनजातियों के हैं, जबकि कुछ परिवार गोंड, उरांव और यादवों का भी है। वन विभाग का कहना है कि सभी हितग्राही परिवारों को विस्थापित कर उनका नियमानुसार पुनर्वास किया गया है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है, कि अभी भी 20 की संख्या ऐसी है कि जो इससे वंचित है। इसके साथ ही टाइगर रिजर्व के लिए छः ग्रामों मे निवास करने वाले परिवारों का सर्वे 2007–08 में किया गया था, जिसके मुताबिक करीब 270 परिवार चिन्हांकित लिए गए थे, लेकिन 249 परिवारों का विस्थापन किया गया। उपयुक्त विष्लेशण से यह निश्कर्श निकाला जा सकता है कि अचानकमार टाइगर रिजर्व क्षेत्र में निवासरत जनजातीयों का सही तौर से विस्थापन एवं पुनर्वास नहीं किया जा रहा है जिससे अनेक समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं इसके साथ ही बैगा जनजाति की जन. संख्या दर भी लगातार कम होती जा रही है।

जनजातियों के विस्थापन के बाद उन उन पड़ने वाले प्रभाव–

भारत सरकार के 'पर्यावरण व वन्य मंत्रालय" के द्वारा लागू किए गए जनजातीय कल्याण कार्यक्रमों के बावजूद पुनर्वास की अवस्था में अपनी आधार–भूत आवष्यकताओं की पूर्ति न कर पाने एवं नवीन परिस्थितिकी से समन्वय न स्थापित हो पाने के कारण ये जनजातियां अपनी संस्कृति तथा अपने अस्तित्व को भी खोती जा रही है। इसके साथ ही बैगा जनजाति अपनी पारंपरिक जमीन एवं परिवेष से विस्थापित होने वाले ये जनजाति अपनी जीविका के आधार खो रहे हैं, तथाकथित विकास के कारण छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले में निवासरत जनजाति समाज ने अपनी समूहिक पहचान एवं ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत खोई है। जिनसे उनमें गरीबी, कुपोशण, मृत्यु दर में वृद्धि तथा अषिक्षा, बेरोजगारी, ऋण एवं दोहरी मजदूर बनते देखने को मिली है। अचानकमार टाइगर रिजर्व बाघ परियोजना के कारण विस्थापित किए गए बैगा जनजातियों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। क्योंकि इस परियोजना के तहत जनजातियों को विस्थापित तो किया जा रहा है, परंतु उनको उपर्युक्त रूप से पुनर्वास नहीं किया जा रहा, जिससे उनकी मृत्यु दर तेजी से बढ़ रहा है। कुछ जनजाति समाज दूसरे जगह पलायन कर रहे है।

उपर्युक्त विवरण को देख कर यह निश्कर्श निकाला जा सकता है कि अनिवार्य विस्थापन एवं इच्छाविरुद्ध पुनःस्थापना एवं पुनर्वास के कारण लोगों के मानोवैज्ञानिक और सामाजिक–सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक पक्षों पर प्रभावों पड़ता है। विस्थापन एवं पुनर्वास के कारण विभिन्न समस्याओं जैसे– उत्पादन साधनों में विखराव, सामाजिक नियंत्रण प्रणाली में षिथिलता स्वास्थ्य एवं षिक्षा संबंधी समस्याओं आदि का सामना करना पड़ता है। उक्त समस्याओं से छत्तीसगढ़ राज्य की जनजातियों को जूझना पड़ रहा है।

निश्कर्श एवं सुझाव–

अपने देष के समाजिक जीवन में एक बहुत बड़ा वर्ग जनजातीय समाज का है। कई वर्शों से यह समाज विस्थापन की समस्या से ग्रस्त है। एक जानकारी के अनुसार 1960 के पष्चात देष के कुल विस्थापितों में से 45 प्रतिषत जनजातीय वर्ग के हैं। ऐसे विस्थापितों के पुनर्वास का उचित विचार न होने के कारण 90 लाख से भी अधिक लोगों को असहाय अवस्था में षरणार्थी की तरह रहना अनिवार्य–सा हो गया है। वर्तमान अध्ययन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के अचानकमार टाइगर रिजर्व क्षेत्र में निवासरत जनजातियों में विस्थापन एवं पुनर्वास संबंधी समस्याओं का द्वितीय स्रोतों द्वारा यह निश्कर्श निकाला गया, कि अचानकमार टाइगर रिजर्व परियोजना के तहत जिन छः ग्रामों को षामिल किया गया था, उसमें 270 परिवार चिन्हित किया गया था। जिसमें केवल 249 पारिवारों का ही विस्थापन एवं पुनर्वास किया गया। जिसके कारण जनजातीय समाज में असंगठित अवस्था, रोजगार का अभाव, षिक्षा एवं उनका आर्थिक पिछड़ापन जैसे कई कारण देखने को मिलते हैं। अतः विस्थापन एवं पुनर्वास परिस्थितिकी, जनावष्यकताओं, सामाजिक–सांस्कृतिक एवं आर्थिक समस्याओं को दृश्टि में रखकर सम्पन्न करने का प्रयास करना चाहिए। पुनर्वास से संबन्धित कर्मचारी या अधिकारी मानववैज्ञानिक दृश्टि से प्रषिक्षित होने चाहिए, ताकि सहभागिता व कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से विस्थापन एवं पुनर्वास हेतु सम्पन्न किया जा सके।

REFERENCES

• हसनैन एन. (2004). जनजातीय भारत, जवाहर पब्लिषर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली। द्य • हसनैन एन. (2011). समकालीन भारतीय समाज एक समाजषास्त्रीय परिदृष्य, भारत बुक सेंटर, लखनऊ। द्य • झवजींतप,ैउपजन (1995)ण क्पेचसंबमउमदज ंदक त्मींइपसपजंजपवद, स्वांलंद ठनससमजपद, छमू क्मसीप, अवस. 11(5). द्य Web Reference: | http://reportersunil.blogspot.in/2011/12/blog-post.html access at 12.03.2015 | http://gondwanasandeshraipur.blogspot.in/2011/07/blog-post_23.html access at 12.03.2015 | http://aajtak.intoday.in/story/chhattisgarh-tribal-will-be-vanished-1-729814.html. access at 14.03.2015 | http://ektahindi.blogspot.in/2011/05/blog-post_7468.html. access at 12.03.2015 | http://ektahindi.blogspot.in/2011/05/blog-post_7468.html.access at 12.03.2015 | http://socialissuesindia.wordpress.com/ access at 20.03.2015 | http://cmo.cg.gov.in/hindi/user/News_Updates.aspx?guid=3044 access at 28.03.2015 | http://reportersunil.blogspot.in/2011/12/blog-post.html access at 02.04.2015 |